रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2014/माघ 28, 1935
No. 352] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2014/MAGHA 28, 1935

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2014

का.आ. 417(अं).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप–खंड (ii) तारीख 8 सितंबर, 2013 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1938(अ), तारीख 1 जुलाई, 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, हरियाणा राज्य के जिला यमुना नगर में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सारांश, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप–धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् दि ट्रिब्यून (हिन्दी), तारीख 08 सितंबर, 2013 और और अमर उजाला में तारीख 8 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए गए हैं;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उससे रहित संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	मस्तील नम्बर	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल हैक्टयर में	भू–स्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुस्तफाबाद	(1) हसनपुर	निजी	चाही	14	24/2	0.0076	दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह
			निजी	आबादी		37/2	0.0277	कंवर लाल अमोल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह
			निजी	आबादी		37/3	0.0529	कंवर लाल अमोल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह
			निजी	आबादी	-	70	0.0025	सन्तू पुत्र सहारू पुत्र छोटा
		(2) स्यालबा	निजी	आबादी	25	105	0.0252	हरपाल, यशपाल, कवरपाल, राजकुमार पुत्र नानक पुत्र राजाराम 1/3 भाग, रामपाल, ऋद्धिपाल, अमन कुमार पुत्र रूलिया राम पुत्र राजाराम 1/3 भाग जयपाल पुत्र राजाराम 1/3 भाग

[फा. सं 2013/एल एम एल/12/7/ई.सी./434]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुख सुविधाएं–1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th Februaary, 2014

S.O. 417(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 1938(E), dated the 1st July, 2013 published in Gazette of India on dated 1st July, 2013, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Yamuna Nagar in the State of Haryana.

And, whereas, the substance of the said notification has been published in daily newspaper the Tribune, dated 8th September, 2013 and Amar Ujala, dated 8th September, 2013 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act;

And, whereas, no objection was received accordingly orders have been passed by Competent Authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Yamuna Nagar in the State of Haryana.

S. No	Name of the taluk	Name of the Village	Type of Land	Nature of Land	Musteel Number	Survey Number	Area (In Hectare)	Name of Land Owners/ Interested Persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mustfabad	(1) Hasanpur	Private	Chahi	14	24/2	0.0076	Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh
			Private	Abadi		37/2	0.0277	Kawar Lal Amol Singh S/o Laxman Singh S/o Gazinder Singh
			Private	Abadi		37/3	0.0529	Kawar Lal Amol Singh S/o Laxman Singh S/o Gazinder Singh
			Private	Abadi	-	70	0.0025	Santu S/o Saharu S/o Chota
		(2) Syalba	Private	Abadi	25	105	0.0252	Harpal, yashpal, Kawarpal, Rajkumar S/o Nanak S/o Rajaram 1/3 part, Rampal, Rishipal, Aman kumar S/o Ruliyaram S/o Rajaram 1/3 part Jaipal s/o Rajaram 1/3 part

[F. No. 2013/LML/12/7-Eastern Corridor/434]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities-1)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.